



2026:AHC:6782

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19383 वर्ष 2025

नितिन श्रीवास्तव @ नितिन कृष्णा श्रीवास्तव

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:

रमेश चंद्र मौर्य

प्रतिवादी के अधिवक्ता:

मुख्य शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.सी. मौर्य और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विवेक सिंह को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि उन्हें कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त किया गया था और उन्होंने 15.07.2008 को वरिष्ठता सूची में कार्यभार संभाला था, रिट याचिकाकर्ता का नाम क्रम संख्या 2593 में है। रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, वरिष्ठ लिपिक के पद पर कनिष्ठों

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को पदोन्नति दिया गया है। रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवादी गणों को पदोन्नति के लिए निर्देश देने की मांग की।

3. विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा किया जाएगा।

4. न्यायालय में की गई प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण रिट याचिकाकर्ता को 30.01.2026 तक दूसरे प्रतिवादी, निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक व्यापक प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश देने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद, दूसरा प्रतिवादी पात्रता और उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए चार माह के भीतर रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय करेगा।

5. उक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

आदेश दिनांक: जनवरी 12, 2026

राजेश

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)